सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 24.05.2026

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करते हुए 02 शातिर चोरों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,**
- **कब्जे से 02 ई-रिक्शा व 08 ई-रिक्शा की बैटरियां (चोरी की) बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में **थाना सिविल लाइन पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/ गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 23/24.05.2026 की रात्रि को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। **इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 85/2026 से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को नुमाइश मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये उनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से **02 ई-रिक्शा व 08 ई-रिक्शा बैटरियां** बरामद की गयी। जिसके सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग अपने साथी के साथ मिलकर ई-रिक्शा चोरी करते हैं तथा चोरी करने के बाद ई-रिक्शा व ई-रिक्शा की महंगी बैटरियों को बेचकर धन अर्जित करते थे। दिनांक 19.05.2026 को आयुष कंपनी का ई-रिक्शा उन्होंने सरैया चुंगी के पास से चुराया था।

उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 85/2026 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. **दीपू पुत्र गंगाराम निवासी नगला नधा थाना बसरेहर हाल निवासी ब्लॉक नं0 08/121, कांशीराम कॉलोनी, थाना सिविल लाइन्स जनपद इटावा उम्र करीब 23 वर्ष।**
2. **साजिद खान पुत्र लईक निवासी मोहल्ला शाह कमर थाना कोतवाली, हाल निवासी ब्लॉक नंबर 9 कांशीराम कॉलोनी थाना सिविल लाइन्स जनपद इटावा उम्र करीब 20 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः

1. मु0अ0सं0 85/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास

साजिद खान पुत्र लईक

1. मु0अ0सं0 171/2023 धारा 401 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 85/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 02 ई-रिक्शा
2. 08 ई-रिक्शा बैटरियां

पुलिस टीमः- प्रभारी निरी0 श्री कण्व कुमार मिश्र थाना सिविल लाइन, उ0नि0 मंगल सिंह, हे0का0 संतोष कुमार, का0 अजय कुमार, का0 पंकज कुमार।